मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 5–88/2014/1–55 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए **आयुष्मति एज्युकेशन एण्ड सोशल सोसायटी** द्वारा संचालित **श्री सत्य सॉई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइन्सेस सीहोर** को सीहोर, जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2017–18 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	BACHELOR IN OCCUPATION THERAPY	DEGREE	50
03	BACHELOR IN SPEECH THERAPY	DEGREE	50
04	BACHELOR IN MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
05	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
07	HUMAN NUTRITION	DIPLOMA	50
08	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
09	PHARMACY AYURVED	DIPLOMA	50
10	BLOOB TRANSFUSION TECHNICIAN	DIPLOMA	50
11	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
12	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
13	YOGA	CERTIFICATE	50
14	NATUROPATHY	CERTIFICATE	50
15	HOSPITAL MEDICAL RECORDS SCIENCE	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम–विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था परिषद द्वारा निर्धारित तिथि 30 दिसम्बर, 2017 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद के नियम–विनियम अनुरूप निर्धारित संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा।
5. संस्था को उपरोक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, जाति, मूल निवासी, आदि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को 15 जनवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से सीडी/पेन ड्राइव में उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। डाक एवं अन्य कारणों से विलम्ब के लिए राज्य शासन एवं म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची परिषद कार्यालय में जमा करते समय शासन द्वारा जारी इस आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

8. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के पक्ष में पन्द्रह लाख की बैंक गारंटी (न्यूनतम वैधता अवधि दो वर्ष) निष्पादित कर मूल प्रति म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. डिप्लोमा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

11. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली शिक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास–सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सह–चिकित्सीय सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन बाबत् दी गई अनुज्ञा/मान्यता निरस्त मानी जाएगी।

12. निर्धारित समयावधि में बैंक गारंटी की प्रति मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद में प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 5–68/2014/1/55
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश
7. कलेक्टर, जिला– सीहोर, मध्यप्रदेश
8. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
9. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
10. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– सीहोर, मध्यप्रदेश
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला– सीहोर मध्यप्रदेश
13. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला– सीहोर। संस्था के विरूद्ध छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता, शिकायत/जाँच आदि प्रकरण हो तो लंबित है, इसकी पुष्टि कर ही कार्यवाही की जाए।
14. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद, तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल
15. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal
16. संचालक, श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइन्सेस एस.एच. 18 भोपाल, इन्दौर रोड सीहोर, मध्यप्रदेश।

27/12/17

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग